भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-784
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

स्वास्थ्य योजना का बंद किया जाना

784. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मूलभूत न्यूनतम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) मानकों के अंतर्गत संरचित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) अंशदायी स्वास्थ्य योजना' नामक योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से अचानक बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक अंशदान के संबंध में उचित प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीआई के अंतर्गत किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के चिकित्सा बिल वर्षों से रोके गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी निधि प्राप्त हुई है और कितने की प्रतिपूर्ति की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) एक स्वायत्त निकाय है, जो हरियाणा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत है और विद्युत क्षेत्र में तकनीकी पेशेवरों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय की वित्तीय सहायता केवल अवसंरचना के विकास और पेंशन देनदारियों के लिए अनुदान प्रदान करने तक सीमित है और कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिको के वेतन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित अन्य व्यय एनपीटीआई द्वारा अपनी आय से वहन किए जाते हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, एनपीटीआई ने अपने स्वयं के राजस्व के माध्यम से, अपने सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को लगातार चिकित्सा लाभ प्रदान किया है, हालांकि, वर्ष 2021-22 से अपनी प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण, इसके सेवानिवृत्त कर्मियों के 2.4 करोड़ रुपये के चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

अपनी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, एनपीटीआई अपने कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्थायी चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है।

****